



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श०)

(सं० पटना 1121) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 15/2019-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 361, दिनांक 30 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 545 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुमूली में,-

- (i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“57क	0813	शुष्क इमली”;
------	------	--------------

- (ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स”;
-------	----	---

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

[सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-15]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 361, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-15]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2019

Notification No. 15/2019- State Tax (Rate)

S.O. 361 dated the 30th September 2019--In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 02/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

- (i) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“57A	0813	Tamarind dried”;
------	------	------------------

- (ii) after S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“114C	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/ flowers/bark”;
-------	----	---

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)-15)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1121-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>